

राजस्व माननीय राजस्व मण्डल मध्यप्रदेश ग्वालियर

कमाक- /2016-17 निगरानी

PBR निगरानी मन्दसौर श्रु-27/2017/1809

- 1- पुष्पाबाई पत्नि स्व0विमलकुमार मारु(महाजन)
- 2- सिद्धार्थ पुत्र स्व0विमलकुमार मारु(महाजन)
- 3- विनीत पुत्र स्व0विमलकुमार मारु(महाजन)
- 4- अभिनन्दन पुत्र स्व0विमलकुमार मारु(महाजन)
- 5- पियदर्शना पुत्री स्व0विमलकुमार मारु(महाजन)

अ.सी. नरवरिया, पी.के. तिवारी

इस आज दि. 19-6-17 को

प्रस्तुत

19-6-17

क्लर्क ऑफ कोर्ट
राजस्व मण्डल म.प्र. ग्वालियर

.....निगरानीकर्तागण

बनाम

- 1- किशन पुत्र गंगारामजी बंजारा
निवासी-ग्राम भौंसखोडा तहसील मल्हारगढ
जिला मन्दसौर (म0प्र0)
- 2- रामप्रसाद पुत्र प्रभूलालजी चमार
- 3- रुघनाथ पुत्र प्रभूलालजी चमार
निवासीगण-ग्राम काचरिया नौ तहसील
मल्हारगढ जिला मन्दसौर (म0प्र0)
- 4- मूलचन्द पुत्र प्यारचन्द कुलमी
निवासी-ग्राम जोगनी तहसील मल्हारगढ जिला
मन्दसौर (म0प्र0)अनावेदकगण

पुनरीक्षण याचिका अन्तर्गत धारा 50 म0प्र0भू-राजस्व
संहिता 1959 बनाराजी आदेश दिनांक-15.12.2016 जो
न्यायालय तहसीलदार मल्हारगढ जिला मन्दसौर द्वारा
प्रकरण कमाक-1/अ-13/2014-15 बरुन्वान किशन
आदि बनाम पुष्पाबाई आदि में पारित किया गया तथा
जिसके विरुद्ध निगरानी प्रस्तुत की जो अपर जिला
कलैक्टर मन्दसौर द्वारा प्रकरण कमाक- 9/2016-2017
में आदेश दिनांक-27.03.2017 को क्षेत्राधिकार के अभाव
में निरस्त फरमायी गई है।

श्रीमानजी,


पुनरीक्षणकर्ता की ओर से निगरानी निम्नप्रकार प्रस्तुत है-

-प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य-

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश - ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक - पीबीआर/निगरानी/मंदसौर/भू.रा./2017/1809

स्थान एवं दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
05-12-18	<p>आवेदक की ओर से अधिवक्ता श्री पी.के. तिवारी उपस्थित। आवेदक की ओर से यह निगरानी तहसीलदार के आदेश के विरुद्ध प्रस्तुत की गई है। म.प्र. भू-राजस्व संहिता में दिनांक 25.09.2018 को हुए संशोधन के फलस्वरूप अब नवीन संशोधित संहिता की धारा 50 सहपठित संहिता की धारा 54(ए) के अंतर्गत तहसीलदार द्वारा पारित आदेश के विरुद्ध सुनवाई कलेक्टर द्वारा की जाना है। अतः यह प्रकरण सुनवाई हेतु कलेक्टर को भेजा जाता है। उभयपक्ष प्रकरण में सुनवाई हेतु दिनांक 24-11-18 को कलेक्टर, जिला मंदसौर के समक्ष उपस्थित हों।</p> <p style="text-align: right;">  प्रशासकीय सदस्य </p>	

दि
क
दि